न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/ परगनाधिकारी धनौरा

वाद सं0 36/09

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0एवंभू0व्यव0अधि0

ग्राम मौहम्मदपुर गूजर/चौकपुरी

परगना व तहसील धनौरा

माता कुंवर कौर बनाम ग्राम पंचायत

निर्णय

प्रस्तुत वाद माता कुंवर कौर विधा भण्डारे ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह चहल नि0 डी0 297 फारेस्ट लेन सैनिक फर्म नई दिल्ली, द्वारा दायर कर अनुरोध किया है कि प्रार्थनी ग्राम गौहम्मदपुर गूजर/चौकपुरी तहसील धनौरा की भूमि गाटा सं0 107 रकबा 0.951 है0 के पूर्ण भाग भूमि के संक्रमणीय भूमिधर कास्तकार तथा काबिज व दखिल आराजी है। प्रार्थनी की उपरोक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में अंकित है लेकिन प्रार्थनी की उपरोक्त भूमि कृषि कार्य के प्रयोग में नही लायी जा रही है। बल्कि अकृषिक/आबादी के रूप में लायी जा रही है। और अन्त में उक्त भूमि को अकृषिक / आबादी भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धनौरा से जांच आख्या तलब की गई। तहसीलदार धनौरा द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 20.08.09 के अन्तर्गत अवगत कराया है कि माता कुंवर कौर विधा भण्डार ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह चहल नि0 डी0 297 फारेस्ट लेन सैनिक फर्म नई दिल्ली की उपरोक्त भूमि में प्रार्थनी का नाम संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, वर्तमान में उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है बल्कि उक्त भूमि आवासीय हेतु प्रयोग में लायी जा रही है। अन्त में उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना, तथा पत्रावली पर अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार धनौरा की जांच आख्या दिनांक 20.08.09 का अवलोकन किया। जिससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि माता कुंवर कौर विधा भण्डार ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह चहल नि0 डी0 297 फारेस्ट लेन सैनिक फर्म नई दिल्ली की भूमि गाटा सं0 107 रकबा 0.951 है0 के स्वामी है। कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु प्रयोग में नही लायी जा रही है तथा नजरी नक्शे में भी दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनी की उपरोक्त भूमि जो कि नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी गयी है। तथा तहसीलदार धनौरा द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 20.08.09 के द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

माता कुंवर कौर विधा भण्डार ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह चहल नि0 डी0 297 फारेस्ट लेन सैनिक फर्म नई दिल्ली, ग्राम मौहम्मदपुर गूजर/चौकपुरी की भूमि गाटा सं0 107 रकबा 0.951 है0 पूर्ण भाग भूमि जो कि नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी गयी है को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगा। परवाना अमल दरामद जारी हो। पत्रावली दाखिल दफतर की जायें।

(एम0एम0 खान)
सहा0 कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/
परगनाधिकारी धनौरा

दिनांक 8 अगस्त 2009

आज यह निर्णय/आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करने के उपरान्त उद्घोषित किया गया।

दिनांक 8 अगस्त 2009

(एम0एम0 खान)
सहा0 कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/
परगनाधिकारी धनौरा

सत्य प्रतिलिपि
अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट अमरोहा
19/7/023

आवेदन पत्र की संख्या 331/23
आवेदन पत्र की दिनांक 17/7/23
आवेदक का नाम त्रिलोकसिंह
स्टाम्प शुल्क —
तैयारी का दिनांक 19/7/23
देने का दिनांक 19/7/23

प्रतिलिपि कर्ता
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट अमरोहा
19/7/023

नक्शा नजरी

मौजा - मोहम्मदपुर गूजर / चौकपुरी

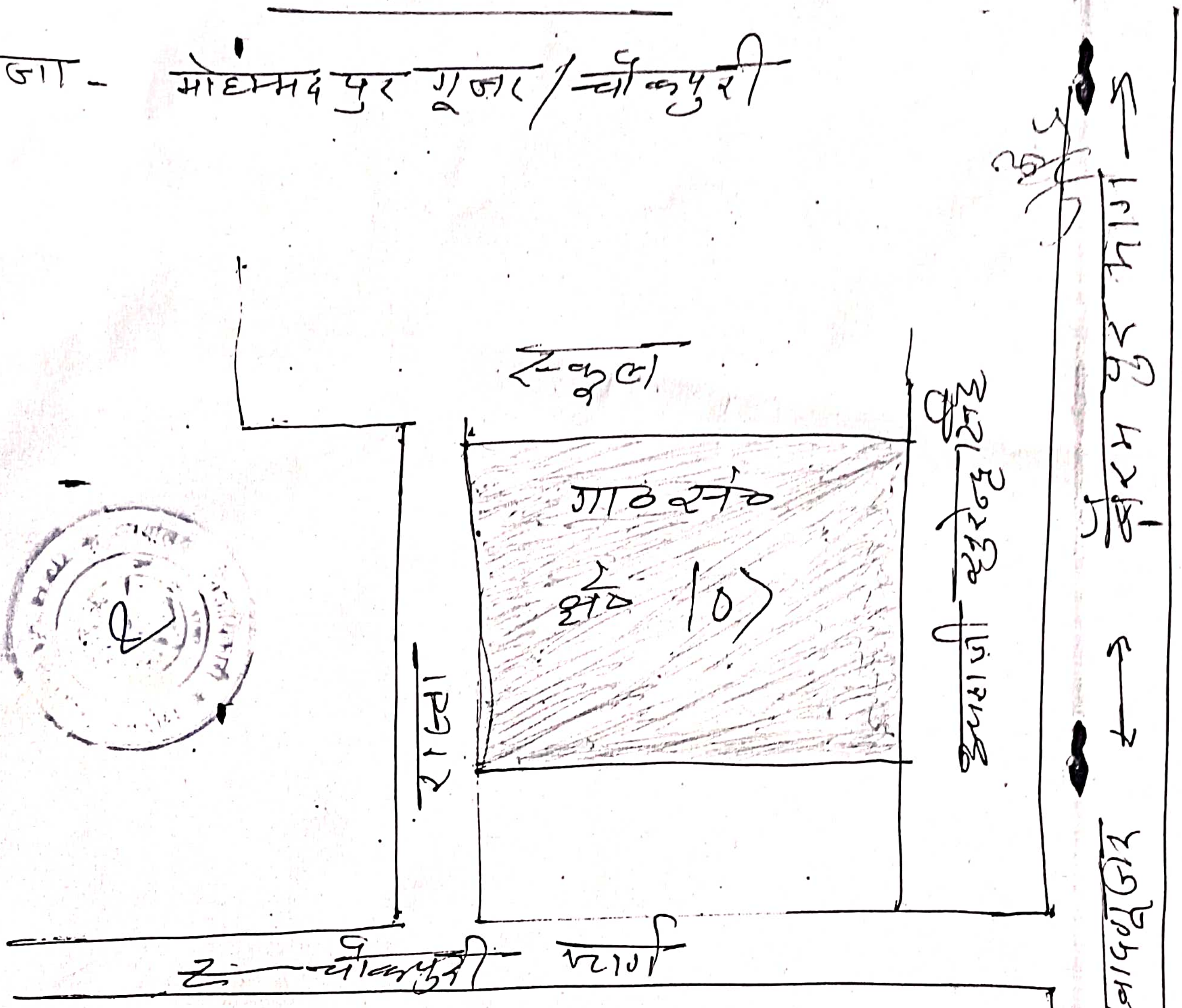

चौहद्दी - पूरब - आराजी सुरेन्द्र सिंह

पश्चिम - रास्ता

उत्तर - स्कूल

द० - आराजी हेतराम आदि

21-7-2019

21-7-19